न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान –

01– सीमा पुत्री सत्यनारायण पत्नी रामकुमार जाति कुम्हार निवासी कल्लरखेडा तह0 अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब) ।

--प्रार्थीया--

वनाम–

01– सत्यनारायण पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार आयु करीब 66 वर्ष निवासी मकान न0 1494, होमलैण्ड द्वितीय श्री गंगानगर।

02– सुमन पत्नी हरीकृष्ण पुत्री सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 34 चहल चौक, श्री गंगानगर, वर्तमान निवासी मकान न0 1494, होमलैण्ड द्वितीय, श्री गंगानगर।

03– हरीकृष्ण पुत्र सत्यनारायण जाति कुम्हार निवासी वार्ड न0 34 चहल चौक, श्री गंगानगर, वर्तमान निवासी मकान न0 1494 होमलैण्ड द्वितीय, श्री गंगानगर।

04– इन्द्रा पुत्री सत्यनारायण पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार आयु 41 वर्ष निवासी डबली राठान तह0 व जिला हनुमानगढ़।

05– स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री विजयनगर ।

06– बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सूरतगढ जरिये शाखा प्रबंधक ।

--अप्रार्थीगण--

07– सुमन पुत्री सत्यनारायण, पत्नी धर्मपाल जाति कुम्हार निवासी 6 ई छोटी चहल चौक, श्री गंगानगर।

--तरतीबी अप्रार्थी--

उपस्थिति– 01– श्री बक्शीश सिंह थिन्द, श्री प्रेम सिंह सैनी वकील प्रार्थीया

02– श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, वकील अप्रार्थीगण

03– पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट)

राजस्व प्रकरण संख्या – 30/2021 निर्णय दिनांक – 7/1/25

(जी.सी.एम.एस.-2021/00064)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

यह कि उपरोक्त अनवानी दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आरटी एक्ट का श्रीमान न्यायालय मे पेश किया जा चुका है जिसमे अंकित तथ्यो को इस प्रार्थना पत्र के तथ्यो के रूप मे पढ़ा जावे जिससे तथ्यो की पुनरावृति ना हो सके, बाद पत्र अंकित तथ्यो, दस्तावेजी साक्ष्यो एवं प्रार्थीया के शपथ पत्र से तीनो बिन्दु-1. प्राईमा फैसाई केस, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के हक में साबित है, अतः तां फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीया के दादा स्व. भागीरथ पुत्र मोती के नाम से चक 6 ई छोटी तह0 श्री गंगानगर के खेवट न0 8 [illegible] 14,15 मे मु0न0 40, 41 की कुल 50 बीघा नहरी कृषि भूमि मे 1/2 हिस्सा [illegible] दर्ज था क्योकि प्रार्थीया के परदादा स्व0 मोतीराम के दो पुत्र भागीरथ [illegible] भगवानाराम थे, अतः प्रार्थीया के दादा का उपरोक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा था, प्रार्थीया के दादा भागीरथ ने [illegible] रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 08.05.72 के मु0न0 40, 41 की उपरोक्त भूमि मे से मु0न0 41 के 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि श्रीमती शांति देवी को विक्रय की बैयनामा की नकल

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

शामिल है तथा उपरोक्त भूमि की विक्रय राशि से कल्लरखेडा तह0 अबोहर जिला फाजिल्का में भूमि बनायी गई जो कि अपने पुत्रो बनवारी, सत्यनारायण, मनीराम, सहीराम के नाम से बनायी गई, जमाबंदी 1988-1989 की नकल शामिल है। पंजाब की उपरोक्त भूमि मे सत्यनारायण के नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर सत्यनारायण उसके पुत्र हरीकृष्ण, सुमन, इन्द्रा, सीमा का संयुक्त हिन्दु परिवार होने से व जद्दी जायदाद होने से प्रार्थीया का भी हक हिस्सा होने से परिवार के मुखिया सत्यनारायण ने अपने पुत्र हरीकृष्ण अप्रार्थी के यह विश्वास दिलाने पर कि पंजाब की भूमि की विक्रय राशि से भूमि उसकी पत्नी के नाम क्रय की जावे जिसमे सत्यनारायण, सुमन, इन्द्रा, सीमा व हरीकृष्ण का हक बहिस्सा बराबर ही रहेगा, अतः परिवार मे अच्छे व मधुर सम्वंध बने रहे तथा सत्यनारायण का एक पुत्र हरीकृष्ण होने से उसके कथन पर उसकी पत्नी के नाम चक 3 बीएलएम पटवार हल्का 6 बीएलएम तह0 विजयनगर के खाता सं0 89/53, मु0न0 18, प0न0 188/393 के किला न0 1,2,9 ता 11, 14 ता 23 की कुल 3.162 हे0 भूमि सुमन पत्नी हरीकृष्ण के नाम से बनायी गई जिसकी जमावंदी की नकल शामिल है जबकि वास्तव मे उपरोक्त भूमि जददी जायदाद की आय से बनायी जाने अर्थात कल्लरखेडा की खेवट खतौनी 522/896 में सत्यनारायण के नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर बनायी जाने के कारण वास्तव मे उपरोक्त भूमि प्रार्थीया, अप्रार्थी सं0 1,3,4 व 7 की बहिस्सा बराबर की खातेदारी है, अप्रार्थी सं0 2 का नाम केवलमात्र पारिवारिक सम्वंध मधुर बने रहे तथा अप्रार्थी सं0 3 द्वारा यह विश्वास दिलाने के कारण ही अप्रार्थी सं0 2 के नाम बनायी जाने वाली भूमि के हकदार वास्तव मे प्रार्थीया, अप्रार्थी सं0 1,3,4 व 7 की बहिस्सा बराबर की ही रहेगी, इस प्रकार कब्जा भी प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1,3,4,7 का मुश्तरका चला आया। इसी बीच मे कोरोना माहमारी के फैलने के कारण गत वर्ष प्रार्थीया हिस्सा लेने नही आ सकी, अब गत सप्ताह जव वह हिस्सा लेने के लिए आयी तो अप्रार्थी सं0 2, 3 ने कहा कि भूमि अप्रार्थी सं0 2 के नाम से है अतः प्रार्थीया को कोई हक हिस्सा नही दिया जावेगा, इस पर प्रार्थीया ने समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 2, अप्रार्थी सं0 3 के साथ मिलकर व अप्रार्थी सं0 1 को अपने प्रभाव मे लाकर भूमि विक्रय करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थीया को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, यदि वह इसमें सफल हो गए तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है, अतः ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित मे आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीयान इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थीयान 1,3 व 4, चक 3 बी एल एम तह0 विजयनगर के खाता सं0 89/53, मु0न0 18, प0न0 188/393 के किला न0 1,2, 9 ता 11, 14 15 ता 23 की 3.162 हे0 में से 2/5 हिस्सा को किसी को रहन बैय मुंतकिल करने प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 7 को जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी[illegible] जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] 4 [illegible] होने के बावजूद भी अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया [illegible] संख्या 01 ता 02 की ओर से श्री सुखदेव सिंह बुट्टर अधिवक्ता द्वारा [illegible] की गई, परन्तु वकालतनामा/जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। जिस पर [illegible]ालय द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी पैरोकार राज औपचारिक पक्षकार है जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 3 बीएलएम पटवार हल्का 6 बीएलएम तह0 विजयनगर के खाता सं0 89/53, मु0न0 18, प0न0 188/393 के किला न0 1,2,9 ता 11, 14 ता 23 की कुल 3.162 हे0 भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज है। उक्त विवादित भूमि स्वअर्जित है या पैतृक सम्पति है इसका निर्धारण साक्ष्य/सबूतो के आधार पर मूल के निस्तारण में तय होना है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विवादित भूमि खुर्द बुर्द करने पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया को होगी एवं ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थीया को होगा तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढेगी, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 3 बीएलएम पटवार हल्का 6 बीएलएम तह0 विजयनगर के खाता सं0 89/53, मु0न0 18, प0न0 188/393 के किला न0 1,2,9 ता 11, 14 ता 23 की कुल 3.162 हे0 भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.27 10:31:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner